

प्रेस-नोट
थाना चिरगांव

दिनांक- 24.09.2024

**जानलेवा हमले के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को थाना चिरगांव पुलिस
द्वारा किया गया गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन एवं सतत मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना चिरगांव पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 308/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/351(3)/131 बीएनएस में नामजद / फरार अभियुक्त राम नारायण यादव पुत्र मन्नूलाल यादव निग्राम अतवेई थाना चिरगांव जिला झाँसी को दिनांक 23.09.2024 को रात्रि 21.25 बजे छिरौना नहर पुल प्रतिकालय से तथा मुकदमा उपरोक्त में नामजद / फरार अभियुक्त कौशल किशोर यादव पुत्र राम नारायण यादव निवासी ग्राम अतवेई थाना चिरगांव जिला झाँसी उम्र करीब 33 वर्ष को घटना में प्रयुक्त देशी बन्दूक 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर सहित आज दिनांक 24.09.2024 को 01.40 बजे थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ेई बिठरी रोड पर तिगैला के पास से गिरफ्तार कर धारा 25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1-कौशल किशोर यादव पुत्र राम नारायण यादव निवासी ग्राम अतवेई थाना चिरगांव जिला झाँसी उम्र करीब 33 वर्ष
- 2- राम नारायण यादव पुत्र मन्नूलाल यादव नि0 ग्राम अतवेई थाना चिरगांव जिला झाँसी

अभियुक्त कौशल किशोर के कब्जे से बरामदगी का विवरण:

घटना में प्रयुक्तशुदा एक देशी बन्दूक 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 12/22 धारा 452/323/504/506 भादवि बनाम 1-कौशल किशोर यादव पुत्र राम नारायण यादव व राम नारायण यादव पुत्र मन्नूलाल यादव नि0गण ग्राम अतवेई थाना चिरगांव जिला झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार सिंह
- 2-उ0नि0 श्री बीर पाल सिंह
- 3-हे0का0 384 रणजीत सिंह
- 4-हे0का0 326 अभिषेक कुमार
- 5-का0 476 सत्य प्रकाश